बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०:–01/2015 160 पटना, दिनांकः 03/08/2021

कार्यालय आदेश

श्री चंचल कुमार वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाम्हो अकहा कुरहा, बेगुसराय संप्रति सेवानिवृत प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अरवल प्रखंड, अरवल के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–213877 दिनांक–26.12.2014 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक–496/आ० दिनांक–07.06.2014 द्वारा गठित आरोप पत्र के आधार पर निदेशालय के का०आ०सं०–48 सहपठित ज्ञापांक–347 दिनांक–24.03.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), बेगुसराय को संचालन पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाम्हो अकहा कुरहा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–225301 दिनांक–24.03.2015 के साथ जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक–131/आ०प्र० दिनांक–02.02.2015 के द्वारा श्री चंचल कुमार वर्मा के विरूद्ध एक अन्य पूरक आरोप पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया। प्राप्त पूरक आरोप पत्र प्रपत्र 'क' को संलग्न करते हुए निदेशालय के पत्रांक–712 दिनांक–11.06.2015 द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही में समाहित करते हुए इस विभागीय कार्यवाही को निष्पादित करने का अनुरोध किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही को निदेशालय के का०आ०सं०–06 सहपठित ज्ञापांक–20 दिनांक–06.01.2020 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में परिवर्तित किया गया।

श्री चंचल कुमार वर्मा के विरूद्ध मूल आरोप पत्र में निम्न आरोप गठित किये गये :–

जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के ज्ञापांक–509 दिनांक–14.04.2012 द्वारा वर्ष 2012–13 में गेहूँअधिप्राप्ति हेतु निर्गत कार्य योजना के तहत आपको प्रखंड प्रर्वतन पदाधिकारी का दायित्व सौपा गया था एवं कार्य योजना के अनुरूप प्रखंडान्तर्गत अधिप्राप्ति से प्राप्त गेहूँको भारतीय खाद्य निगम के डिपो/गोदाम में भेजवाने की जिम्मेवारी आपको सौपी गई थी। 1252.20 क्विं० गेहूँआपके द्वारा अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ में से भारतीय खाद्य निगम के गोदाम को सुपूर्द नहीं किया गया है। जिसकी कीमत 1796907/– रू० होता है।

अधिप्राप्ति अंतर्गत क्रय किये गये गेहूँ का सही रूप से रख–रखाव करने हेतु आपको मो०–10,000/– रू० उपलब्ध कराया गया था। परन्तु भारतीय खाद्य निगम, बेगुसराय द्वारा गेहूँ उपलब्ध कराने के क्रम में उक्त मात्रा में गेहूँ मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ प्राप्त करने से इनकार कर दिया गया। जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के द्वारा दिनांक–21.01.2013 को एक समिति का गठन कर समिति के देखरेख में अवशेष गेहूँ को निलामी करने की प्रक्रिया अपनाने का आदेश दिया गया परन्तु निलामी के क्रम में अवशेष गेहूँ आपके यहाँ उपलब्ध नहीं पाये जाने के कारण जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेगुसराय के पत्रांक–1081 दिनांक–01.04.2013 एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा अवशेष गेहूँ की राशि जमा करने हेतु आपके प्रखंड के क्रय केन्द्र प्रभारी एवं आपको भी स्मारित किया गया परन्तु आपके द्वारा राशि जमा नहीं की गई जो अधिप्राप्ति किये गेहूँ के रख–रखाव में कोताही एवं उदासीनता बरतने के साथ–साथ सरकारी आदेश/निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन एवं सरकार के दिशा–निदेश की अनदेखी है।

0200 स्था01(का0आ0) (16 जुलाई 2021) चंचल कुमार वर्मा.

" जन्म हो या मरण, जरूरी है पंजीकरण "

अंतिम रूप से इस कार्यालय के पत्रांक –1725 दिनांक–21.12.2013, 46/15.01.2014 एवं 229/25.02.2014 द्वारा आपको अवशेष गेहूँ की मात्रा के समतुल्य राशि जमा करने का निदेश दिया गया है, इस संबंध में आपसे प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने के कारण इसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा अधिप्राप्ति गेहूँ के रख–रखाब में कोताही एवं उदासीनता बरतने के साथ–साथ सरकारी आदेश/निदेश का स्पष्ट उल्लंधन एवं सरकार के दिशा निर्देश की अनदेखी कर अवशेष गेहूँ को सुरक्षित नहीं रखा गया। फलस्वरूप गेहूँ की राशि जमा करने हेतु निदेश दिया गया परन्तु अबतक राशि जमा नहीं की गई है जो इंगित करता है कि आपके द्वारा लापरवाही बरतने के कारण अधिप्राप्ति गेहूँ की मात्रा के कमी तथा उसके समतुल्य राशि जमा नहीं हो सकी जिससे सरकार की आर्थिक क्षति हुई है।

श्री चंचल कुमार वर्मा के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र में निम्न आरोप गठित किये गये :–

खरीफ वर्ष 2010 में सुखाड़ के फलस्वरूप फसल क्षति से प्रभावित कृषकों के बीच कृषि इनपुट अनुदान राशि वितरण हेतु जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय ने अपने पत्रांक –347 दिनांक –26.03.2012 के द्वारा कुल 85,80,000/– रूपये का आवंटन प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाम्हो को किया ।

आपके द्वारा राशि को वितरित नहीं कर राशि वापस कर दी गई। यह आपके सरकारी कार्य के प्रति उदासीनता एवं घोर लापरवाही का द्योतक है।

2. (i) संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, बेगुसराय के पत्रांक–141/रा० दिनांक–09.01.2021 द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने मूल आरोप पत्र के संबंध में समर्पित अपने संचालन प्रतिवेदन में निम्न निष्कर्ष दिया है :–

"आरोपी कर्मी श्री चंचल कुमार वर्मा के विरूद्ध लगाये गये आरोप, उनके द्वारा दिया स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन और जिला पदाधिकारी, बेगुसराय का ज्ञापांक–509/आ० दिनांक–14.04.2012 की कार्ययोजना की कंडिका–10 में उल्लेख किया गया है कि– "पैक्स प्रभारी द्वारा गेहूँ क्रय किये जाने के बाद तुरंत सूचना प्रखंड स्थित राज्य खाद्य निगम क्रय केन्द्र प्रभारी/प्रवर्तन पदाधिकारी को दी जायेगी। किसानों से प्राप्त गेहूँ की गुणवत्ता की जाँच निर्धारित मानदंड के अनुरूप कर संतुष्ट हो लेगें। बेस कैम्प पर भेजने के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे। अधिप्राप्ति के अनुश्रवण एवं गुणवत्ता की जबाबदेही संपूर्ण रूप से क्रय केन्द्र प्रभारी एवं प्रवर्तन पदाधिकारी की होगी।

निष्कर्ष:–आरोपी कर्मी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होता है।"

(ii) संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, बेगुसराय के पत्रांक–1487/रा० दिनांक–11.06.2020 द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने पूरक आरोप पत्र के संबंध में समर्पित अपने संचालन प्रतिवेदन में निम्न निष्कर्ष दिया है :–

"आरोपी कर्मी श्री चंचल कुमार वर्मा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाम्हो अकहा कुरहा द्वारा दिया गया मंतव्य एवं साक्ष्य के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बेगुसराय जिला के 18 प्रखंडों के 12 प्रखंडों में राशि का वितरण नहीं हुयी इसके लिए जाँच समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधकारी के साथ–साथ पंचायत सचिव/राजस्व कर्मचारी एवं भी०एल०डब्ल्यू को सामान्य रूप से जिम्मेदार माना है। आरोपित प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया जिसका सारांश है कि प्रभावित किसानों का अनुमोदित सूची प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहने

के कारण राशि का वितरण नहीं की जा सकी, जबकि उन्हें रूचि लेकर अनुमोदित सूची प्राप्त करनी थी, जिससे प्रतीत होता है कि श्री चंचल कुमार वर्मा द्वारा अपने पदीय दायित्व के निर्वहन में शिथिलता बरती गयी है।

निष्कर्ष:– पदीय दायित्व के निर्वहन में शिथिलता बरतने का आरोप की पुष्टि होती है।"

3. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, बेगुसराय द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित होने के समर्पित प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत श्री वर्मा से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया।

3(i). श्री वर्मा ने समर्पित मूल आरोप के संबंध में अपने अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

जिला मुख्यालय से प्रखंड–शाम्हो अकहा कुरहा की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। तत्कालीन अवधि में प्रखंड में स्थायी संरचना का घोर अभाव था। नदी से घिरे होने के कारण वर्ष के अधिकांश माह में आने जाने हेतु नाव ही एकमात्र साधन होता था यातायात एवं परिवहन की कोई व्यवस्था प्रखंड में उपलब्ध नहीं था । प्रखंड के पास सरकारी कर्मियों की उपलब्धता नहीं थी। परिणाम स्वरूप प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय को जिला प्रशासन बेगुसराय द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु शाम्हो अकहा कुरहा प्रखंड में प्रतिनियुक्त कर गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य सम्पादित करने का निदेश दिया गया था। उनके द्वारा विषम परिस्थितियों के बीच प्रखंड में गेहूँ के अधिप्राप्ति कार्य का निष्पादन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करते हुए 13173.05 क्विंटल गेहूँ का क्रय किसानों से की गयी। अधिप्राप्त गेहूँ का भंडारण विद्यालयों के भवन (अस्थायी) में करना हीं एकमात्र विकल्प था। राज्य खाद्य निगम, बेगुसराय द्वारा भंडारित खाद्यान्न के उठाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई । उनके द्वारा जिला स्तरीय प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा खाद्यान्न उठाव की समस्या के समाधान हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेगुसराय से बार–बार दूरभाष पर उक्त दिशा पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया प्रत्येक बार उनके द्वारा इस विषय पर सिर्फ आश्वासन दिया जाता रहा। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा परिवहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराने पर प्रखंड के प्रभारी वरीय उपसमाहर्त्ता द्वारा भी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेगुसराय से भंडारित खाद्यान्न का उठाव यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया। इतने सारे स्तरों के पदाधिकारियों के अनुरोध के बाबजूद भी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेगुसराय द्वारा भौतिक रूप से कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण जिला पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा राज्य खाद्य निगम, बेगुसराय के प्रति अत्यंत नारजगी व्यक्त करते हुए अंतिम रूप से भंडारित गेहूँ का उठाव यथाशीघ्र करने का निदेश दिया गया। जिसमें यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया कि राज्य खाद्य निगम के द्वारा भंडारित खाद्यान्न का उठाव ससमय नहीं करने के कारण खाद्यान्न बर्बाद होने की सारी जिम्मेदारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेगुसराय की होगी। परन्तु जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

तदोपरांत बरसात का मौसम प्रारंभ होने के कारण भंडारित अवशेष खाद्यान्न 1252.20 क्विंटल गेहूँप्रखंड कृषि पदाधिकारी–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी पदाधिकारी शाम्हो अकहा कुरहा के पास भंडारित केन्द्र पर उनके प्रभार में अवशेष रह गया। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेगुसराय द्वारा वर्षा मौसम प्रारंभ होने पर माह जुलाई, 2012 में अवशेष खाद्यान्न उठाव हेतु परिवहन अभिकर्त्ता की नियुक्ति की गयी।

अवशेष खाद्यान्न राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराने हेतु क्रय केन्द्र प्रभारी शाम्हो अकहा कुरहा को उनके द्वारा मौखिक एवं दूरभाष पर बार–बार अनुरोध किया गया। उनके द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी–

–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी को अंतिम रूप से चेतावनी देते हुए अवशेष खाद्यान्न राज्य खाद्य निगम के द्वारा नियुक्त परिवहन अभिकर्त्ता को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश निर्गत किया गया।

उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि इतनी तत्परता, सावधानी एवं निष्ठा से कार्य सम्पादन के बावजूद भी प्रखंड प्रवर्त्तन पदाधिकारी के रूप में उनके उपर आरोप का गठन करते हुए वाद संचालन की गयी। गठित आरोप के विरूद्ध उनके द्वारा ससमय सभी आवश्यक साक्ष्य संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

(II) श्री चंचल कुमार वर्मा के विरूद्ध गठित पूरक आरोप के संबंध में श्री वर्मा ने अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया है कि जिला पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा दिये गये निदेश के बावजूद संबंधित पंचायत के राजस्व कर्मचारी/जनसेवक/पंचायत सचिव द्वारा प्रभावित कृषकों की सूची प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्रभावित कृषकों की सूची की मांग हेतु प्रखंड कार्यालय, शाम्हो अकहा कुरहा के विभिन्न पत्रों द्वारा संबंधित पंचायतों के मुखिया से अनुरोध किया गया।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाम्हो अकहा कुरहा के बार–बार मौखिक एवं लिखित अनुरोध करने पर ग्राम पंचायत राज सलहा सैदपुर बरारी–I एवं सलहा सैदपुर बरारी–II के मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा लिखित रूप से सूचित किया गया कि पंचायत कार्यालय में प्रभावित कृषकों का कोई आवेदन उपलब्ध नहीं है।

प्रखंड अन्तर्गत एक पंचायत अकबरपुर बरारी से प्राप्त कुल 482 कृषकों का त्रृटिपूर्ण आवेदनों के सुधारोपरांत पंचायत राहत अनुश्रवण समिति से अनुमोदन प्राप्त कर प्रखंड विकास कार्यालय को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने का अनुरोध अनेकों पत्रों द्वारा की गई परन्तु संबंधित पंचायत से कृषकों की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी। विषय वस्तु की गंभीरता को देखते हुए उनके द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बेगुसराय को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए आवश्यक मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया गया। परन्तु उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन अप्राप्त रहा।

अतः सरकारी राशि के दुरूपयोग से बचाने के लिये पदीय दायित्व का निर्वहन करते हुए सरकार के निर्देशानुसार सरकारी खजाने में राशि वापस जमाकर दी गयी। संचालन पदाधिकारी के अधिगम में भी स्वीकार की गई है कि राजस्व कर्मचारी /जनसेवक/पंचायत सचिव की भूमिका पदीय दायित्व के अनुरूप नहीं था।"

4. श्री चंचल कुमार वर्मा द्वारा अपने अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को दिये गये अभ्यावेदन में दिया गया है। इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख अपने अभ्यावेदन में नहीं किया गया है। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

5. जिला पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा श्री चंचल कुमार वर्मा को वर्ष 2012–13 में गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु निर्गत कार्य योजना के तहत प्रखंड प्रवर्तन अधिकारी का दायित्व सौंपा गया था। श्री वर्मा द्वारा सौंपे गये कार्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया जिसके चलते भारतीय खाद्य निगम को 1252.20 क्विंटल अधिप्राप्त गेहूँ सुपुर्द नहीं किया जा सका। अतः श्री वर्मा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री चंचल कुमार वर्मा पर उनके पेंशन का 05% (पाँच प्रतिशत) राशि पाँच वर्षो तक के लिए कटौती करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है।

6. अतः श्री चंचल कुमार वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाम्हो अकहा कुरहा, बेगुसराय संप्रति सेवानिवृत प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अरवल प्रखंड, अरवल पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) मे किये

गये प्रावधान के तहत उनके पेंशन का 05% (पाँच प्रतिशत) राशि पाँच वर्षो तक के लिए कटौती करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. यह दंड निदेशालय के का०आ०सं०–54 सहपठित ज्ञापांक–505 दिनांक–06.04.2021 द्वारा श्री चंचल कुमार वर्मा को दिये गये दंड "उनके पेंशन का 10% (दस प्रतिशत) राशि 5 वर्षो तक के लिए कटौती करने का अधिरोपित दंड " के अतिरिक्त होगा।

ह०/--

(बैद्यनाथ यादव)

निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/आ०2–01/2015 860 पटना, दिनांक :– 03/08/2021

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
3. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–213877 दिनांक–26.12.2014 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, बेगुसराय को उनके पत्रांक–496/आ० दिनांक–07.06.2014 एवं पत्रांक–131/आ०प्र० दिनांक–02.02.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगुसराय/अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय/अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरवल प्रखंड, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
10. श्री चंचल कुमार वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाम्हो अकहा कुरहा, बेगुसराय सम्प्रति सेवानिवृत प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मोहल्ला–शास्त्रीनगर, चित्रगुप्त मंदिर मार्ग, पोस्ट–रमना, जिला–मुजफ्फरपुर, पिन–842002 को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 26/7/2021

0200 स्था०1 (का०आ०) (16 जुलाई 2021) चंचल कुमार वर्मा.